बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 437883 / पटना, दिनांक- 22-08-19

ग्रा0वि0–07(JJH)-08/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- **"जल-जीवन-हरियाली अभियान" के तहत मनरेगा अंतर्गत 02 अक्टूबर, 2019 को सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आप अवगत हैं कि 02 अक्टूबर, 2019 को **"जल-जीवन-हरियाली अभियान"** की घोषणा संभावित है । इस क्रम में उक्त अवसर पर राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सार्वजनिक जल संचयन संरचना (तालाब/पोखर/आहरों) के उड़ाही/जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा अंतर्गत प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है ।

इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त विवरण अनुसार जिला में उपलब्ध सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की सूची एवं आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 13/14/16 अगस्त, 2019 द्वारा सभी जिलों को प्रेषित किये गये है (सुगमता हेतु जिलावार प्रेषित पत्रों का विवरण संलग्न) । संदर्भित पत्र द्वारा मनरेगा अंतर्गत अनुशंसित जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार/उड़ाही का कार्य शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है।

02 अक्टूबर, 2019 को **"जल-जीवन-हरियाली अभियान"** की घोषणा के दिन ही प्रत्येक पंचायत में कार्य प्रारंभ करने के लिए समयबद्ध तरीके से तैयारी करना आवश्यक है । विशेषकर SECURE platform पर प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त जियो टैगिंग के लिए Bhuvan platform पर योजना उपलब्ध होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखना आवश्यक है । इसलिए समयबद्ध तरीके से निम्न प्रकार तैयारी की जाए:-

I. मनरेगा अंतर्गत जीर्णोद्धार/उड़ाही कार्य हेतु प्रत्येक पंचायत में लगभग एक एकड़ (0.40 हे0) तक की कम से कम एक सार्वजनिक जल संचयन संरचना की पहचान 31.08.2019 तक कर ली जाय ।

II. भौतिक सत्यापन और निरीक्षण के दौरान उक्त संरचनाओं का प्राक्कलन हेतु मापी लेते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि किसी प्रकार के इनलेट ब्लॉकेज की दशा में, इसे दूर करने के लिए प्राक्कलन में प्रावधान अवश्य किया जाय ।

III. जल संचयन संरचना के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु योजना अलग से तैयार कर ली जाय । भूमि उपलब्धता अनुसार वृक्षारोपण अधिक से अधिक पंक्तियों में किया जाए तथा पौधों की आपसी दूरी 2 मी0x2 मी0 एवं मुख्यत: जामुन प्रजाती के पौधे लगाए जाए । उड़ाही

कार्य पूर्ण होने के बाद के वर्ष में वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण की योजना क्रियान्वित की जाएगी ।

IV. जल संचयन संरचनाओं की योजनाओं के चयन के संबंध में विमर्श एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु 07.09.2019 के पूर्व विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाय ।

V. ग्राम सभा से अनुमोदित योजनाओं को नरेगा साफ्ट पर पी0ओ0 लॉगिन से दिनांक 11.09.2019 तक इंट्री करा लिया जाय ।

VI. पी0ओ0 लॉगिन से इंट्री के उपरान्त SECURE Software के माध्यम से योजनाओं का प्राक्कलन तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 16.09.2019 तक कर लिया जाए ।

VII. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त Bhuvan Software के माध्यम से योजनाओं की जियो टैगिंग 25.09.2019 तक कर लिया जाए ।

VIII. इन संरचनाओं से संबंधित नागरिक सूचना-पट्ट 28 सितम्बर, 2019 तक निर्धारित मापदंड अनुसार बनवाकर कार्य स्थल पर स्थापित कर ली जाए तथा उनमें मस्टर रॉल जारी कर दिये जाए जिसमें प्रथम कार्य दिवस 02 अक्टूबर, 2019 अंकित हो।

IX. दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 की ग्राम सभा में मनरेगा श्रम बजट बनाने की तैयारी के लिए "सबकी योजना सबका विकास" कार्यक्रम की शुरूआत के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक जल संरचना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की जायेगी । 02 अक्टूबर, 2019 को ही ग्राम सभा के तुरंत बाद इसका कार्य प्रारम्भ किया जाना है ।

X. वर्षा का पूर्ण लाभ लेने के लिए सभी पंचायतों में जल संचयन संरचनाओं की उड़ाही का कार्य 31.05.2020 के पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

अत: अनुरोध है कि 02 अक्टूबर, 2019 को **"जल-जीवन-हरियाली अभियान"** की घोषणा के दिन ही मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सार्वजनिक जल संचयन संरचना (तालाब/पोखर/आहरों) के उड़ाही/जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ करने हेतु समयबद्ध तरीके से तैयारी एवं 02.10.2019 को इन योजनाओं पर मनरेगा अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करवाया जाए ।

विश्वासभाजन

22/8/19

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक 437883 पटना, दिनांक 22-08-19

ग्रा0वि0–07(JJH)-08/2019

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/8/19

सचिव